

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
25.4.18	<p>वकूलाय उप/पत्रावली/पीठासन अधिकारी शिवकाशी पर है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 25.18 को पेश हो।</p>
2.5.18	<p>वकूलाय उप/बहस हेतु समय-काहा/समझ किया गया/ वास्तु बहस 10.5.18 को पेश हो।</p>
10.5.18	<p>वकूलाय उप/गतानुसार कि 29.6.18 को पेश हो।</p>
29.6.18	<p>वकूलाय उप/बहस सुनी गई/अभ्यपक्ष को पाबंद किया जाता है जो जलें बंधा है वही रहे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा शामिल किया जाता है पत्रावली के साथ शुभान् होकर न्याय से काम हो/दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p>
29.6.18	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अभ्यपक्ष उपस्थित। वकील अभ्य पक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया। सायत एवं गैरसायत सदस्योत्तरदाता हैं लकासा का दावा पेश किया है। अभ्यपक्षकारान को दावा के फैसला होने तक पाबंद किया जाता है कि गुमचोडा मीम की भूमि खण.नं. 6228 रकबा 10 एघा, 6228/7516 रकबा 3 एघा, 6230/7515 रकबा 5 एघा कुल भिगा 3 कुल रकबा 18 एघा में जो जलें बंधा है वही बंधा रहे। पत्रावली के साथ शुभान् होकर न्याय से काम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p>

उप जिला कलेक्टर